कार्यालय
उप निदेशक (निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
नवीन मण्डी स्थल, रायबरेली रोड अयोध्या ddcfzd@gmail.com

पत्रांक– उ0नि0(नि0)अयो0(ई–निविदा)/2026– 30 दिनांक– 18 अप्रैल, 2026

"ई–निविदा सूचना"

निम्नलिखित नवीन सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु हेतु ई–निविदा दिनांक 12.05.2026 तक, मण्डी परिषद में पंजीकृत तथा परिषद मुख्यालय के पत्रांक–641 दिनांक–11.08.2022 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पंजीकृत, वित्तीय रूप से सुदृढ एवं अनुभवी ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र www.etender.up.nic.in पर दिनांक 20.04.2026 से दिनांक 11.05.2026 की सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। आमंत्रित निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 12.05.2026 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में खोली जायेंगी विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना, नियम शते एवं विवरण उ0प्र0 सरकार की वेबसाइड www.etender.up.nic.in पर देखी, पढ़ी एवं डाउनलोड की जा सकती है। कायों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	मण्डी समिति का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा मूल्य + (जी0एस0टी सहित) (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने का समय	पंजीकरण श्रेणी
1	2	3	4	7	8	9	10
1.	अयोध्या	सम्पर्क मार्ग गोशाईगंज महबूबगंज मार्ग से बन्हवां गांव तक नव निर्माण कार्य। लम्बाई 0.88 किमी0	30.76	3.08	4700 +846 =5546.00	06 माह	'द' श्रेणी
2.	अयोध्या	सम्पर्क मार्ग मठिया–बछरामपुर गीजा पक्की सड़क से भवानी वक्श का पूरा में राजकुमार तिवारी के घर तक नव निर्माण कार्य। लम्बाई 0.85 किमी0	28.60	2.87	4300 +774 =5074.00	06 माह	'द' श्रेणी
3.	अयोध्या	सम्पर्क मार्ग मया–गोशाईगंज मार्ग से पंचायत भवन होते हुए सिलौनी गॉव तक नव निर्माण कार्य। लम्बाई 0.84 किमी0	29.23	2.93	4400 +792 =5192.00	06 माह	'द' श्रेणी
4.	जायस	सम्पर्क मार्ग गौरीगंज–मुसाफिरखाना मार्ग दर्शननगर से निषाद राज इण्टरकालेज तक नव निर्माण कार्य। लम्बाई 1.20 किमी0	41.90	4.19	6300 +1134 =7434.00	06 माह	'स' श्रेणी
5.	जायस	सम्पर्क मार्ग पूरे मथुरा सोनार बस्ती देई सम्पर्क मार्ग से फूलमती माता के आगे मण्डी परिषद मार्ग तक नव निर्माण कार्य। लम्बाई 1.00 किमी0	44.04	4.40	6700 +1206 =7906.00	06 माह	'स' श्रेणी

शर्तें:–

4. ई–निविदा के साथ निविदा मूल्य उपनिदेशक (निर्माण), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, अयोध्या के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा नाका, अयोध्या में संचालित खाता संख्या–30394489098 आई0एफ0एस0सी0कोड–SBIN0012323 मे तथा धरोहर धनराशि आई0एफ0एस0सी0कोड–SBIN0012323 खाता संख्या–30394489247 मे जमा कर रसीद/यू0टी0आर0 निविदा के साथ अपलोड की जायेगी तथा मूल प्रति हार्ड कापी के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि उपरोक्त खातों में निर्धारित समयावधि तक जमा करना अनिवार्य है। किसी भी कारण से निर्धारित समयावधि के उपरान्त जमा धनराशि मान्य नही होगी।
5. परिषद पत्रॉक मु0अभि0–2/(1168/भाग–4/2005)/2022–1190 दिनांक 17.11.2022 द्वारा जारी आदेश/निर्देश के क्रम में 'द' श्रेणी को छोडकर 'अ' ब' एवं 'स' श्रेणी में पजीकृत निविदाओं की पारदर्शिता एवं अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के उदद्वेशय से पंजीकृत ठेकेदारों से Bid Capacity हेतु लोक निर्माण विभाग Standard Bidding Document (S.B.D) में Qualification of Bidders के Section 4.6 में व्यवस्था दी गयी है जिसका विस्तृत विवरण मुख्य नियम शर्तो में अकिंत है। Bid Capacity की गणना प्रपत्र Bidding Document के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
6. उक्त निविदा तालिका में अकिंत पंजीकरण श्रेणी के अतिरिक्त उच्च श्रेणी के मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म भी प्रतिभाग कर सकती है। आवश्यकतानुसार प्रपत्र टी–1/टी–2 भरकर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

18/04/26
उप निदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद, अयोध्या।

Scanned with CamScanner

मुख्य नियम व शर्ते–

1. वांछित श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा मूल्य एवं वांछित धरोहर धनराशि का विवरण (आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट) दिनांक सहित जमा अपलोड करना होगा।
3. निविदा दरों की वैधता 90 (नब्बे) दिन होगी जो कि रू0 100 के मूल्य के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखकर स्व हस्ताक्षर कर अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. श्रम विभाग में सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण होना अनिवार्य है एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति टेण्डर में अपलोड करना होगा एवं अनुबन्ध गठन के 15 दिन के अन्दर श्रमिकों का श्रम विभाग में अनुबन्धवार पंजीकरण कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. ई–निविदादाता बार काउन्सिल का सदस्य नहीं होना चाहिए जिसका शपथ पत्र अपलोड करना होगा।
6. शासनादेश संख्या 4435/छः–पु– 14–06–50(7)/2006 दिनांक 02.11.2016 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (PWD T-4) व हैसियत प्रमाण–पत्र (PWD T-5) एवं रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर भरकर प्रारूप (PWD T-6) पर स्व घोषणा का शपथ पत्र किसी गजटेड अधिकारी अथवा नोटरी द्वारा प्रमाणित अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण पुस्तिका के तालिका सं0 09 प्रारूप, के अनुसार 10.00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर अन्य समस्त विभागो सहित निर्माणाधीन, स्वीकृत व स्वीकृति हेतु विचाराधीन निर्माण/मरम्मत कार्यो के सम्बन्ध में सूचना भरकर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. जी0एस0टी0 पंजीकरण एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनु0 जन जाति) को पंजीकरण नियमावली के नियम 18 के अन्तर्गत अनुमन्य धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। जिसके लिये आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड किया जायेगा।
9. उ0प्र0 में किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं होने व डिबार नहीं होने का रू0 10.00 मूल्य के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
10. 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीकृत फर्म के टैक्निकल स्टाफ का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का विवरण संलग्न करना होगा।
11. परिषद पत्रांकःमु0अभि0–2/(1168/भाग–4/2005)/2022–1190 दिनांकः17.11.2022 द्वारा जारी आदेश/निर्देश के कम में निविदाओं की पारदर्शिता एवं अधिक प्रतिस्तर्घात्मक दरें प्राप्त करने के उदद्वेश्य से पंजीकृत ठेकेदारों की Bid Capacity निर्धारण हेतु Standard Bidding Document (S.B.D) में Qualification of Bidders के Section 4.6 में दी गयी व्यवस्था निम्नवत् हैः–

   Bidders who meet the minimum qualification criteria will be qualified only if their available bid capacity for construction work is equal to or more than the total bid value.The available bid capacity will be calculated as under.

   Assessed Available Bid Capacity = (AxNxM-B) where

   A=Maximum Value of civil Engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the @ 8% a year) taking into account the completed as well as works in progress.

   N=Number of years prescribed for completion of the works for which tenders are invited.

   (Period upto 6 months to be taken as half-year and more than 6 month as one year)

   M= is taken 2.0

   B=Value,at the current price level,of existing commitments and on-going works to be completed during the period of completion of the work for which bids are invited.

   Note- If the bidder participates in more then one bid,the bid capacity for the second bid shall be calculated by deducting the work cost of first bid.

   मण्डी परिषद में 'अ' 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों के द्वारा Bid capacity की गणना उपरोक्तानुसार लो0नि0वि0 में Standard Bidding Document दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जायेगी। Bid capacity का गणना प्रपत्र एवं चार्टेड एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) द्वारा प्रमाणित विगत पॉच वर्षो का टर्न ओवर Bidding Document के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है। मण्डी परिषद में 'द' श्रेणी में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों पर उक्त बिड कैपेसिंटी की गणना की शर्त लागू नहीं हैं। निविदा सूचना में अंकित अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों के लिए भी उपरोक्तानुसार बिड कैपेसिटी की गणना की शर्त लागू होगी।
12. उक्त कार्य हेतु मण्डी परिषद में 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीकृत निविदादाता/फर्म/ठेकेदार द्वारा बिड डाक्यूमेन्ट में अंकित Qualification Of the Bidders में T-1 के क्लाज 3.2(c) एवं T-2 के क्लाज सं0 4.4 A(b) में अंकित शर्त के अनुसार विगत 05 वर्षो में संतोषजनक ढंग से पूर्ण किये गये समान प्रकृति के कार्यो का सक्षम अधिकारी/नोटरी द्वारा प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है। निविदा सूचना में अंकित अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों के लिए भी उक्त शर्त लागू होगी।

Scanned with CamScanner

13. मण्डी परिषद में 'द' श्रेणी में रू0 40.00 (चालीस) लाख की क्षमता में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा उपरोक्त बिन्दु सं0 12 में अंकित क्लाज के अनुसार कराये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने पर ही रू0 40.00 (चालीस) लाख की सीमा तक का कार्य आवंटित किया जायेगा एवं अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर मात्र रू0 20.00 (बीस) लाख की सीमा तक ही कार्य आवंटित किया जायेगा।
14. कोषागार द्वारा जारी रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट लगाकर स्व हस्ताक्षर युक्त अपलोड करना अनिवार्य है।
15. आई0टी0बी0 के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका निकट सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा संयुक्त निर्माण स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक (दोनों को सम्मलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पद नाम का उल्लेख होगा जो कि कार्यदायी खण्ड व उससे सम्बन्धित जोन कार्यालय में कार्यरत हो।
16. बिड डाक्यूमेन्टस के सेक्शन 3 में अंकित Qualification Information से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूपों पर सूचनायें/शपथ पत्र रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराते हुए अपलोड करना अनिवार्य है।
17. आई0टी0बी0 के अनुसार ऐसे राजपात्रित अभियन्ता/राजपात्रित अधिकारी, जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए दो वर्ष से कम अवधि पूर्ण की हो, को बिना शासन की अनुमति के ई-निविदा डालने का अधिकार नहीं होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
18. अपराधिक रिकार्ड वाले फर्म/ठेकेदार निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। अपराधिक रिकार्ड न होने का रू0 10.00 मूल्य के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
19. उपरोक्त अभिलेख/शपथ पत्र ई-निविदा की वेबसाइट पर टेण्डर डालते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।
20. एक या समस्त ई-निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, अयोध्या को होगा।
21. परफोरमेन्स गारन्टी शासनादेश सं0 692/23-07-2024/लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ दिनांकः 09 अगस्त 2024 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी एवं 10 प्रतिशत से अधिक कम (below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम (below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा।
22. अनुबन्ध गठन करते समय कार्य की निविदा आगणित लागत का 10 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष में अवशेष जमानत धनराशि भारतीय स्टेट बैक, नाका, अयोध्या (आई0एफ0एस0सी0 कोड- **SBIN0012323** जो उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद अयोध्या के खाता संख्या-**30394489247**) में जमा करना अनिवार्य होगा।
23. जी0एस0टी0 को छोड़कर श्रम सेस उपकर एवं अन्य समस्त करों की कटौती नियमानुसार ठेकेदार के देयकों से की जायेगी।
24. वेबसाईट www.etender.up.nic.in से डाउनलोड किये गये फार्म/बी0ओ0क्यू0 में किसी भी तरह की भिन्नता की स्थिति में कार्यालय में अनुरक्षित निविदा फार्म/बी0ओ0क्यू0 की मूलप्रति ही मान्य होगी।
25. तकनीकी एवं फाइनेशियल बिड खुलने के बाद निविदादाताओं को ई-टेण्डर वेबसाइट पर अपलोड किये गये शपथ-पत्र, आनलॉइन जमा किये गये निविदा शुल्क एवं जमा धरोहर धनराशि की रसीद एवं अन्य अभिलेखों इत्यादि को मूलरूप में कार्यालय में तत्काल जमा किया जाना अनिवार्य हैं एवं न जमा करने की स्थिति पर शासनादेश सं0 3070/78-2-2018-42 आई0टी0/2017(22) दिनांक 03.01.2018 आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ,उ0प्र0 के अनुसार सम्बन्धित निविदाता फर्म के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
26. बिल ऑफ क्वान्टटी में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है जिसका भुगतान नियमानुसार अलग से किया जायेगा।
27. कार्य समाप्ति हेतु निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में औचित्यपूर्ण कारण न होने पर SBD में अकिंत शर्त के अनुसार कार्य की लागत का 01 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अधिकतम अनुबंध लागत का 10 प्रतिशत फर्म/ठेकेदार पर अर्थ दण्ड आरोपित किया जायेगा। कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अविध में वर्षा ऋतु का अतिरिक्त समय सम्मिलित है। वर्षा ऋतु के नाम से अलग से कोई समयवृद्वि देय नही होगी।

Scanned with CamScanner

28. निर्माण कार्य सम्बन्धित मण्डी समिति को हस्तान्तरित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। हस्तान्तरण प्रपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अन्तिम देयक का निस्तारण किया जायेगा।

29. मण्डी परिषद के आदेश संख्या: 1235 दिनांक: 15.07.2013 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिजों पर रायल्टी की कटौती ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।

30. सीमेन्ट, सरिया एवं बिटुमिन (IOCL/BPCL/HPCL) ठेकेदार द्वारा स्वयं क्रय कर प्रयोग करना होगा तथा बिल की मूल प्रति कार्यालय में बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा सीमेन्ट एवं सरिया भारतीय मानक संस्थान से प्रमाणित परफार्मेन्स नियमानुसार बहु विख्यात कम्पनी का ही प्रयोग किया जायेगा।

31. **(अ)** भवन कार्यों हेतु निविदादाता फर्म/ठेकेदार स्वयं के व्यय पर अनुरक्षण समय अवधि (Defect liability Period) कार्य पूर्ण करने की तिथि से एक वर्ष तक होगी। जमा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में पूर्ण होने की वास्तविक दिनांक से एक वर्ष पश्चात जिसमें एक वर्षा ऋतु सम्मिलित हो के पश्चात कार्य के सन्तोषजनक होने की स्थिति में अवमुक्त की जायेगी।

(ब)शासनादेश सं017/2024/सा0–113/23–1–2024–23–1099/113/2023 दिनांक 16 जनवरी, 2024 लोक निर्माण विभाग अनुभाग–1, उ0प्र0, लखनऊ के कम में मा0 संचालक मण्डल की 170 वी बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार मार्गो के नव निर्माण/पुर्ननिर्माण/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत/मण्डी के आन्तरिक मार्ग कार्य हेतु निविदादाता फर्म/ठेकेदार हेतु कार्य पूर्ण करने की वास्तिविक तिथि से 05 (पांच) वर्ष तक अनुरक्षण समय अवधि (Defect liability Period) रहेगी। कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष तक कोई अनुरक्षण के मद में कोई भुगतान नही किया जायेगा। शेष चार वर्षो में नियमानुसार निर्धारित सीमा के अर्न्तगत अनुरक्षण चार्ज का भुगतान किया जायेगा। पी0एम0जी0एस0वाई योजना के अनुसार 10 प्रतिशत जमा जमानत धनराशि में से 2.50 प्रतिशत धनराशि कार्य पूर्ण होने के 45 दिनो बाद, द्वितीय वर्ष पूर्ण होने पर 1.25 प्रतिशत, तृतीय वर्ष पूर्ण होने पर 1.25 प्रतिशत एवं शेष 05 प्रतिशत 05वर्ष पूर्ण होने पर समय–समय पर क्षतिग्रस्त भाग की गुणवत्ता पूर्ण तरीके से मरम्मत कराये जाने पर व कार्य सन्तोषजनक स्थिति में होने पर ही जमानत धनराशि चरणवद्व तरीके से अवमुक्त की जायेगी। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यदि गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो अनुबंध की शर्तो एवं पंजीकरण नियमावली के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं कोई अनुरक्षण चार्ज का भुगतान नही किया जायेगा। शासन/मण्डी परिषद, लखनऊ द्वारा अनुरक्षण/डिफेक्ट लायबिल्टी से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस सीमा तक आदेश मान्य होगा।

32. ठेकेदार अपने खर्च पर सभी सामग्री के दैनिक परीक्षण करने के लिए एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित करेगा। ठेकेदार अपने सभी प्रयोगशाला उपकरणों एवं गुणवत्ता नियंत्रक अभियन्ता की सूची प्रस्तुत करेगा जो प्रभारी अभियन्ता के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

33. प्रथक–प्रथक कार्यो हेतु निविदा प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर धनराशि प्रथक–प्रथक जमा करना अनिवार्य होगा।

34. परिषद पत्रांक:मु0अभि0ग्रेड–2/(1168/भाग–4/2005)/2022–641 दिनांक:11.08.2022 के अनुपालन में अन्य विभागो PWD,R.E.D,U.P.R.N.N तथा U.P.P.C.L में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म भी निविदा में भाग ले सकती हैं। उनकी निविदा प्रथम न्यूनतम आने पर अनुबन्ध गठन के समय फर्म/ठेकेदार को निविदा लागत की 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि अतिरिक्त रूप से जमा करना होगी तथा विभाग में पंजीकरण हेतु तीन दिवस के अन्दर प्रार्थना पत्र नियमानुसार देना होगा। विभाग में पंजीकरण के उपरान्त 10 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी। निविदा की दरें एक समान होने पर मण्डी परिषद में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों को वरीयता दी जायेगी। निविदा सूचना में अंकित पंजीकरण 'अ' एवं 'ब' श्रेणी से सम्बन्धित कार्यो हेतु PWD, R.E.D, U.P.R.N.N तथा U.P.P.C.Lविभाग में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निविदा प्रकिया में प्रतिभाग कर सकते है।

35. निर्माण कार्य के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल (एन0जी0टी0) द्वारा पर्यावरण के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का प्रत्येक दशा में अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल (एन0जी0टी0) द्वारा अर्थदण्ड आरोप करने पर वांछित धनराशि की कटौती आपके देयको से की जायेगी। निर्माण कार्य के दौरान जाली/त्रिपाल इस प्रकार से लगाया जाय कि धूल/गर्दा न उड़े तथा कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री ट्रक/ट्रैक्टर आदि वाहनों से आपूर्ति कराते समय वाहनों को त्रिपाल आदि से ढक कर ही मंगवाया जायें।

36. किसी भी निविदादाता की सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

37. जमा धरोहर धनराशि के सापेक्ष मोबलाइजेसन के रूप में कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

38. निविदा हेतु सिस्टम फेल होने अथवा किसी प्रकार के विलम्ब के लिए मण्डी परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

39. सम्पर्क मार्ग/मण्डी के आन्तरिक मार्गो हेतु निविदादाता के पास स्वयं का हॉट मिक्स प्लांट होने का शपथ पत्र अथवा हॉट मिक्स प्लान्ट स्वामी व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त लीज डीड अथवा सम्बन्धित हाट मिक्स स्वामी से निर्धारित कार्य कराने का सहमति पत्र संयुक्त हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं रू0 100.00 के नॉन ज्यूडीशियल स्टॅाम पर अपलोड करना आवश्यक है।

40. कार्यो की मात्रा में आवश्यकतानुसार विचलन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा, जिसके लिए निविदादाता बाध्य होगा।

41. निविदादाता निविदा अपलोड करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण अवश्यक कर लें।

42. पंजीकृत ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के उपरान्त अनुबंध गठन के समय जिला पंचायत की रसीद संलग्न करनी होगी।

43. शासनादेश संख्या 753 (1)/80–1–2017–89/2017 दिनांक 03.05.2017, परिषद पत्रॉक मु0अभि0/गडढामुक्ति/2017–120 दिनांक 03.05.2017 एवं परिषद पत्रॉक मु0अभि0/गडढामुक्ति/2017–160 दिनांक 11.05.2017 मे निर्धारित प्रकिया/व्यवस्थानुसार किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता की जॉच में प्रतिकूल स्थिति पाये जाने पर ठेकेदार/निविदा दाता पूर्णतया उत्तरदायी होगा तथा कार्य का अन्तिम भुगतान, जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित जॉच/सत्यापन टीम के द्वारा निर्गत जॉच/सत्यापन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त एवं जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार किया जायेगा। यदि इस उक्त प्रकिया के कारण अन्तिम भुगतान होने मे किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो उस स्थिति में किसी भी फर्म/ठेकेदार का कोई भी दावा मान्य नही होगा।

44. निविदा कार्य की लागत अनुसार टी–1 एवं टी–2 प्रपत्र भरकर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रपत्रों पर सम्बन्धित कार्य का नाम जिस कार्य के लिए निविदा में प्रतिभाग किया जा रहा है उस कार्य का नाम अकिंत करना होगा तत्पश्चात ही निविदा स्वीकार की जायेगी।

18/04/26

उप निदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद, अयोध्या।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Singh
Date: 2026.04.20 15:36:56 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with CamScanner